

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गृह रक्षक महानिदेशालय
निष्काम सेवा भवन, सीटीआई कॉम्प्लेक्स, राजा गार्डन, नई दिल्ली - 110027
वेबसाइट <https://delhihomeguards.nic.in>

नामांकन सूचना विज्ञापन पर विस्तृत जानकारी
विज्ञापन संख्या. DIP/Shabdarth/Classified/0308/23-24

महत्वपूर्ण नोट: केवल <http://dghgenrollment.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिये जायेंगे। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि:- 24-01-2024

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:- 13-02-2024

- होम गार्ड्स "बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट 1947" यथा दिल्ली हेतु विस्तारित, के अनुसार एक स्वैच्छिक व्यक्तियों का निकाय है
- होम गार्ड के स्वैच्छिक चरित्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2759/2015 में 11 मार्च 2015 के निर्णय/आदेश सहित न्यायालयों द्वारा कई बार बरकरार रखा गया है।
- पूर्व में किये गए नामांकन निर्धारित अवधि के लिए थे। होम गार्ड स्वयंसेवकों का वर्तमान नामांकन "बॉम्बे होम गार्ड्स अधिनियम 1947" और "दिल्ली होम गार्ड्स नियम, 1959" के अनुसार स्वैच्छिक सेवा हेतु निर्धारित अवधि के लिए है।

10,285 होम गार्ड स्वयंसेवकों के तीन साल की अवधि के नामांकन, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण है। प्रत्येक श्रेणी में से एक तिहाई (33.33%) रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित (क्षैतिज आरक्षण) हैं। 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित हैं, जिनकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व-सीएपीएफ कार्मिक से एवं दोनों से उपलब्ध ना होने पर सामान्य उम्मीदवारों से नामांकन किया जायेगा। (रिक्तियाँ अस्थायी हैं, जिन्हें अंतिम नामांकन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है।)

'भूतपूर्व सैनिक' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो;

1. जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो
2. जिसे सैन्य सेवा से उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त करा गया हो और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से प्रदान की गयी हो या
3. जिसे अपने स्वयं के अनुरोध अथवा स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप पर पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त/सेवानिवृत्त किया गया हो; या
4. जिसे अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा, सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, और उसे ग्रेच्युटी दी गई है; और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, अर्थात्:-

- (i) निरंतर सेवा के लिए पेंशन धारक,
- (ii) सैन्य सेवा के कारण विकलांगता वाले व्यक्ति, और
- (iii) वीरता पुरस्कार विजेता

'पूर्व-सी ए पी एफ कर्मी' का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने भारत सरकार के किसी भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल में पूर्व-सैनिकों के लिए ऊपर अंकित चार मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हों या पूरा करते हुए, केंद्रीय अर्धसैनिक बल में सेवा की हो।

1 पात्रता मानदंड:-

- a) भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी।
दिल्ली के निवासी का प्रमाण : उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:
- i) मान्य पासपोर्ट
 - ii) चुनाव आयोग फोटो आई कार्ड
 - iii) वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है, तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान प्रमाण के साथ समर्थित होना आवश्यक है।
 - iv) परिवहन विभाग, जी एन सी टी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
 - v) दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटोयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक।
 - vi) राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी के सक्षम/अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- b) आयु :- **45-20 वर्ष** (जन्म 1979-01-02 से पहले और 2004-01-01 के बाद का नहीं होना चाहिए) (पूर्व सैनिकों/पूर्व-सीएपीएफ कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक)
- c) शैक्षिक योग्यता 12^{वीं} पास सीनियर सेकेंडरी) (भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व-सीएपीएफ कर्मियों के लिए 10^{वीं} पास)
- d) ऊंचाई :पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **165 सेमी** और महिला अभ्यर्थियों के लिए **152 सेमी**

उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी के प्रमाण, शिक्षा, आयु, आरक्षण और बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज होने चाहिए जिन्हें लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पहले जारी किया होना चाहिए।

केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण) पीएमईटी 1,600 मीटर दौड़ और ऊंचाई माप (में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लिखित परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा जिसे लिखित परीक्षा के अंकों में, जहां भी लागू हो, बोनस अंक जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र जमा करना होगा जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल और गृह रक्षक महानिदेशालयकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नामांकन पोर्टल :- <http://dghgenrollment.in>

वेबसाइट:- <https://delhihomeguards.nic.in>

2. नामांकन की विधि

नामांकन निम्नलिखित दो (2) चरणों में पात्र आवेदकों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा- :

ए (चरण :-I -शारीरिक माप एवं क्षमता परीक्षण) पीएमईटी (केवल अर्हक प्रकृति का) ।

A.1

शारीरिक माप

योग्यता ऊंचाई

- i) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए **165 सेमी** ii) महिला अभ्यर्थियों के लिए **152 सेमी**

A.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण-

दौड़ : उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होना होगा, जिसके लिए दिनांक 2024-01-01 को आयु के अनुसार मानदंड इस प्रकार हैं:

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

आयु	मीटर में दौड़	योग्यता समय
30वर्ष तक	1600	06मिनट
40 – 30वर्ष के बीच	1600	07मिनट
45 – 40वर्ष के बीच	1600	08मिनट
45वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक/पूर्व-सीएपीएफ कार्मिक	1600	10मिनट

महिला अभ्यर्थियों के लिए

आयु	मीटर में दौड़	योग्यता समय
30वर्ष तक	1600	08मिनट
40 – 30वर्ष के बीच	1600	09मिनट
45 – 40वर्ष के बीच	1600	10मिनट
45वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक/पूर्व-सीएपीएफ कार्मिक	1600	12मिनट

बी चरण : II -लिखित परीक्षा और बोनस अंक प्रदान करना

दस्तावेज़ और बोनस अंक सत्यापन:

बी 1.केवल पीएमईटी योग्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा

a) लिखित परीक्षा में 80 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ,प्रत्येक का 1 अंक का होगा ,कुल मिलाकर 80अंक होंगे और इसकी अवधि 90 मिनट होगी। प्रश्न पत्र निम्नलिखित विषयों से मैट्रिकुलेशन 10^{वीं} कक्षा मानक का होगा :-

1. अंकगणित
2. सामान्य विज्ञान
3. सामान्य बुद्धि और तर्क
4. दिल्ली का इतिहास ,संस्कृति और स्थलाकृति
5. भारत का संविधान
6. प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति
7. भूगोल एवं सामान्य ज्ञान
8. सामयिकी

b) प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में द्विभाषी होगा।

c) यदि पीएमईटी उत्तीर्ण करने के बाद भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सीएएमएफ कर्मियों की संख्या कुल रिक्तियों के 10% से कम रहती है, तो उनके के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।

बी)2. (ए) बोनस अंक

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए वास्तविक दावे के अनुसार, निम्नलिखित को पूरा करने के अनुसार, उन्हें बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। हालाँकि, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान इसे सत्यापित किया जाएगा और किसी भी गलत जानकारी/दावे पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

बोनस के रूप में अधिकतम 16 अंक निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिए जाएंगे:

i) एनसीसी के लिए बोनस अंक

- एनसीसी' सी 'प्रमाणपत्र 5अंक
- एनसीसी' बी 'प्रमाणपत्र 3अंक
- एनसीसी' ए 'प्रमाणपत्र 2अंक

- ii) होम गार्ड के रूप में अनुभव के लिए बोनस अंक
- 2 वर्ष का अनुभव : 3 अंक
 - 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभव: 4 अंक
 - 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का अनुभव: 6 अंक
 - 5 वर्ष से अधिक का अनुभव : 8 अंक
- iii) नागरिक सुरक्षा में अनुभव के लिए बोनस अंक
- 2 वर्ष का अनुभव : 2 अंक
 - 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभव: 3 अंक
 - 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का अनुभव: 5 अंक
 - 5 वर्ष से अधिक का अनुभव : 6 अंक

iv) सी टी आई-दिल्ली से पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या न्यूनतम दो सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स या एन सी डी सी-नागपुर/सीटीआई-बैंगलोर से किसी एक कोर्स का प्रमाण पत्र होना 3 अंक

ध्यान दें: केवल पीएमईटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही पहले लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, और केवल वे उम्मीदवार, जो लिखित परीक्षा सह बोनस अंकों की मेरिट सूची में शामिल होंगे, उन्हें बोनस अंक दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

बी)2. (बी) दस्तावेज़ और बोनस अंक सत्यापन : पात्रता शर्तों के सत्यापन और बोनस के दावे के लिए मूल दस्तावेजों की विधिवत गठित बोर्ड द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा।

- i. बोनस अंकों के किसी भी झूठे दावे या आवेदन पत्र पर उम्मीदवार द्वारा दी गई किसी अन्य गलत जानकारी या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने/प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा योग्य प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, उस अधिनियम/आदेश के स्पष्ट उल्लेख सहित, जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी जाती है और गांव/शहर जहाँ का सामान्य रूप से निवासी है।
- iv. ओबीसी के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा, कि वह समुदाय प्रमाण पत्र (ओबीसी) के अलावा क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।
- v. नामांकन के लिए अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और सत्यापित बोनस अंक के आधार पर बनाई जाएगी।

नोट : उपलब्ध रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल उन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और सत्यापित बोनस अंकों की मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने दोनों चरणों को उत्तीर्ण किया हो।

3 इंटर-से-रैंकिंग (परस्पर योग्यताक्रम):

समान कुल अंक) अर्थात् लिखित परीक्षा के कुल अंक और बोनस अंक (प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की *अंतर-से-रैंकिंग* निम्नानुसार मानदंड के अनुसार तय की जायेगी:

- i. लिखित परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii. यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के लिखित अंक समान हैं, तो उम्मीदवारों की योग्यता उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी अर्थात् लम्बे उम्मीदवार को योग्यताक्रम में ऊपर रखा जाएगा;
- iii. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की ऊंचाई भी समान होगी, तो उन्हें उनकी आयु के अनुसार मेरिट आवंटित की जाएगी अर्थात् अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को योग्यताक्रम में उच्च माना जाएगा;
- iv. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्म तिथियां भी समान हैं, तो उन्हें उनके नाम के वर्णमाला के अनुसार मेरिट में माना जाएगा अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों को उनके नाम को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मेरिट आवंटित की जाएगी।

4 परिणामों की घोषणा

पैरा 3 में निर्धारित समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच परस्पर रैंकिंग के मानदंडों का पालन करते हुए, अंतिम रूप देने के लिए चयन बोर्ड की एक बैठक आयोजित की जाएगी, एवं "होम गार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन के लिए चयन सूची" को अनुमोदन हेतु महानिदेशक गृह रक्षक को प्रस्तुत करने के बाद, अनुमोदन उपरांत वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और निदेशालय मुख्यालय में नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी।

5 पूर्व होम गार्ड स्वयंसेवकों का नामांकन

दिनांक 24/12/2013 अधिसूचना क्रमांक एफ.नं/07/16/1.एचजी 5409/के अनुसार ;जीएनसीटी दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व-होम गार्डों को सभी मौजूदा पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर नए उम्मीदवारों के रूप में नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। हालाँकि, वर्तमान होम गार्ड स्वयं सेवक नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में उनकी उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाएगा जब वे नामांकन की पेशकश के लिए स्वीकृति प्रस्तुत करने के समय विधिवत सेवामुक्त पाए जाएंगे।

6 चरित्र और पूर्ववृत्त की चिकित्सीय जांच और सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण:

चयनित उम्मीदवार की जीएनसीटी दिल्ली के अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा मानकों पर चिकित्सीय जांच की जाएगी:

ए। नेत्र दृष्टि

दूर दृष्टि

सामान्य -दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। या

(1)सुधार के साथ बेहतर आँख 6/6।

(2)खराब नेत्र दृष्टि 12/6 बिना सुधार के।

या दोनों आंखें 9/6 होनी चाहिए।

निकट दृष्टि

सामान्य - दोनों आंखें जे आई होनी चाहिए या

सुधार के साथ बेहतर आँख जे,

और सुधार के बिना आंख खराब होना जे) ॥ कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त

बी। श्रवण (कान) : किसी भी विकलांगता से मुक्त।

सी। दोष या विकृति: अंग किसी भी विकृति या दोषमुक्त होने चाहिए

डी। रोग : हर्निया, बवासीर, श्वास रोग, मधुमेह आदि से मुक्ति।

या कोई अन्य बीमारी जो होम गार्ड के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

इ। अन्य : सपाट पैरों (Flat Foot) वाला नहीं होना चाहिए या घुटने टकराने (knocked knees), पैर टेढ़े (bowed legs) होने की समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए और अधिक वजन वाला नहीं होना चाहिए। वीएमआई 18.5 से 29.9

नामांकन प्रस्ताव की स्वीकृति जमा करते समय दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पोर्टल (pcc.delhipolice.gov.in)के माध्यम से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

7 आवेदन शुल्क :- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त करने के ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से -/100₹ प्रत्येक प्लस सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

8 आवेदन कैसे करें:

गृह रक्षक महानिदेशालय होम गार्ड ,दिल्ली के नामांकन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं <http://dghgenrollment.in>। गृह रक्षक महानिदेशालय <https://delhihomeguards.nic.in> की वेबसाइट से भी पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है

a) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले ,उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह महानिदेशालय होम गार्ड (डीजीएचजी) (नामांकन पोर्टल यानी <http://dghgenrollment.in> पर पंजीकृत है। गृह रक्षक महानिदेशालय <https://delhihomeguards.nic.in> की वेबसाइट से भी पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है .

b) पंजीकरण के निर्देश गृह रक्षक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया है .जब भी कोई उम्मीदवार गृह रक्षक महानिदेशालय द्वारा विज्ञापित नामांकन के लिए आवेदन कर रहा हो तो पंजीकरण के बाद उत्पन्न उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग लॉगिन करने के लिए किया जाना चाहिए। एक से अधिक पंजीकरण और परीक्षा में किसी भी स्तर पर (एक से अधिक बार उपस्थित होने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे गृह रक्षक स्वयंसेवक के रूप में नामांकन से वंचित कर दिया जाएगा।

c) योग्य उम्मीदवार नामांकन पोर्टल यानी वेबसाइट <http://dghgenrollment.in> के माध्यम से दिनांक **24-01-2024** से **13-02-2024** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिनांक **13-02-2024** रात्रि **12** बजे के बाद लिंक अक्षम हो जाएगा.

d) नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

e) उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से यानी डाक से/हाथ से/मेल आदि से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

f) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले ,उम्मीदवारों को यह जांचना और सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद ,किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन/सुधार/संशोधन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पोस्ट , फैक्स ,ईमेल ,हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के डेटा और उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क में किसी भी गलती के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

g) आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका) -/100 ₹ केवल एक सौ। अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क और सुविधा शुल्क का भुगतान केवल डीजीएचजी नामांकन पोर्टल में दिए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से करना चाहिए। भुगतान के अन्य तरीकों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा और किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

9. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

a) गृह रक्षक महानिदेशालय परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की कोई विस्तृत जांच नहीं करता है और इसलिए, उम्मीदवारी केवल अंतरिम आधार पर स्वीकार की जाएगी। ऐसे में केवल नामांकन के लिए आवेदन करने से ही उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं हो जाता। उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे नामांकन के लिए पात्र हैं। मेरिट सूची तैयार होने के बाद दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी।

- b)** पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, बोनस अंक और अन्य पात्रता शर्तें **01/01/2024** के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।
- c)** यदि कोई उम्मीदवार अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर देता है, तो इसे केवल 'अंतरिम' माना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए।
- d)** गृह रक्षक स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, उम्मीदवारों को गृह रक्षक स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उचित श्रम करना चाहिए। यदि, होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो ऐसे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी चरण में) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे गृह रक्षक स्वयंसेवक के रूप में नामांकन से वंचित कर दिया जाएगा।
- e)** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हालिया और स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करें। पृष्ठभूमि सादा सफेद या मटमैला सफेद होना चाहिए। इसमें पूरा चेहरा, सामने का दृश्य, आंखें खुली होनी चाहिए। धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार को पीएमईटी और लिखित परीक्षा के लिए और जब भी पूछा जाए, फोटो गुणवत्ता वाले पेपर पर मुद्रित वही फोटो/फोटो लाना होगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करने वाली डिजिटल या मुद्रित फोटो को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- f)** एक बार सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में पोस्ट/फैक्स/ईमेल/हाथ से आदि किसी भी माध्यम से मांगे गए परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।